



Neutral Citation-2026: AHC:19531

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2799 वर्ष 2026

राम लोचन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ललित कुमार गोंड

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त, प्रथम (न्यायिक), मंडल प्रयागराज, जिला कौशांबी, तहसील चायल को निर्देश दिया जाए कि वे वाद संख्या 1392/2019 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या C201902000001392) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त वाद का निस्तारण विधि के पूर्णतः अनुरूप, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक (अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर) करे; बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"